भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 512

(दिनांक 06.12.2023 को उत्तर के लिए)

उच्च स्तरीय पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारी

512. कुमारी राम्या हरिदास:

श्री राहुल गांधीः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में उच्चस्तरीय पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत सरकार के सचिव और संयुक्त सचिव स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ग) भारत सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकृत पदों और बकाया रिक्तियों का मंत्रालय-वार, विभाग-वार और समूह-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) भारत सरकार में वर्तमान में सेवारत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सचिवों, अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों, विशेष सचिवों, उप सचिवों और अवर सचिवों का मंत्रालय-वार और विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 2021 से पार्श्विक भर्ती के माध्यम से नियुक्त सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (च): केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम (सीएसएस) के अंतर्गत भारत सरकार में उच्च स्तरों के पदों को भरने के लिए सीसीएस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों पर इन पदों को

धारण करने के लिए पैनलबद्ध करने/प्रतिधारण करने के लिए विचार किया जाता है। ये पद प्रतिनियुक्ति पद हैं तथा किसी सेवा के संवर्ग पद नहीं हैं।

बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों का होना और उनको भरना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों को उत्पन्न करने वाले कारकों को दूर करने हेतु उपाय आरंभ करने और उन्हें विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से भरने के लिए एक आंतरिक (इन-हाउस) समिति गठित करने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं।

केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के किसी अधिकारी को आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित करना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करना भी अपेक्षित है, जो कि कर्तव्य निर्वहन में उनका सहयोग करेगा। अनुदेशों के कार्यान्वयन का समय-समय पर अनुवर्तन किया जाता है तथा पथ-प्रदर्शक कार्याशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।